



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216]
No. 216]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 1982/आषाढ़ 24, 1904
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 1982/ASADHA 24, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई 1982

सं० का० नि० 496 (अ) —राष्ट्रपति सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कतिपय समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. सक्षिप्य नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का सक्षिप्य नाम दूरदर्शन (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1982 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना —ये नियम इन नियमों से उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट हैं।

4. प्रारम्भिक गठन (1) नियमित रूप से नियुक्त आकाशवाणी के ऐसे अधिकारी, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को इन नियमों से उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित पदों पर दूरदर्शन में कार्यरत हैं या जिन्होंने उस तारीख से पूर्व किसी भी समय उन पर कार्य किया है और जो दूरदर्शन के काइटर में शामिल होने के इच्छुक हैं, प्रारम्भिक गठन के समय उन पदों को जो वे नियमित रूप से धारण कर रहे थे तत्स्थानी पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन मास के भीतर उस निमित्त लिखित में अनु-रोध करते हैं।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की उनकी अपनी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का भवधारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा जो सध लोक सेवा आयोग द्वारा गठित की जाएगी। उस समिति का अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष या सर्वस्य होगा और उपयुक्त प्राप्ति के अधिक से अधिक दो प्रतिनिधि होंगे जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। चयन समिति ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए अधिकारियों को सूची तैयार करेगी और उसे आयोग को प्रस्तुत करेगी। उक्त सूची के प्राप्त होने पर आयोग संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त-पाए गए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजेगा।

(3) उप-नियम (2) में वर्णित अधिकारियों की, दूरदर्शन के काब्र में नियुक्ति पहले की नियमित लगातार सेवा, परीक्षा अवधि, प्रोन्नति-पुष्टिकरण और पेंशन के प्रयोजन के रूप में अर्हक सेवा गणना में ली जाएगी।

5. भावी अनुरक्षण : भर्ती की पद्धति, प्रायु-सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 6 से 16 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हताएं : वह व्यक्ति

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी से जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्धन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह शक्ति है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे, परिणामों, प्रायुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्र० सं०	पद का नाम	वर्षों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पथ प्रवर्धन प्रवर्धन पथ	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सि-विल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुशेष है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रायु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	महानिदेशक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" (राज-पत्रित) में कार्य पत्रित) भारत के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2500-125-2750 रु०	चयन	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुशेषों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण : प्रायु सीमा प्रवर्धित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे शिथिल जो संभव और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मातृताप्राप्त विश्व-विद्यालय की उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी शैक्षिक, सांस्कृतिक, दूरदर्शन, फिल्म, कार्यक्रम निर्माण, प्रकार या व्यावसायिक संस्था/संगठन में पर्यवेक्षी रूप में 15 वर्ष का अनुभव जिसके अन्तर्गत संगठन की योग्यता और क्षमता के साथ पर्याप्त साधारण प्रणामनिक अनुभव भी है। (iii) भारत की सांस्कृतिक, विरासत और देश की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों का ज्ञान।

1	2	3	4	5	6	7	8
							(iv) सामयिक विषयों और सम- कासीन विचारों का ज्ञान।
							टिप्पण:— 1—ग्रहणार्थ अथवा सूच- हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेका- नुसार शिथिल की जा सकती हैं।
							टिप्पण : 2—अनुसूच संघों की ग्रहण/ग्रहणार्थ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनु- सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्य- र्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जब कि जयन के किसी प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु हों और शैक्षिक ग्रहणार्थ प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्था- नांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में कितनी परि- स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	------------------------------------	---	--	--	--

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा वास्तविकता पद्धति के बारे में प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परा- मर्श से विनिराज्य किया जाएगा।	प्रोन्नति : (1) ऐसा अपर महाविदेशक जिसने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की है। (2) उपरोक्त (1) के न हो सकने पर ऐसा अपर महाविदेशक जिसने अपर महाविदेशक और उप महाविदेशक की श्रेणियों में कुल मिलाकर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है	प्रोन्नति और पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय समिति : (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग— अध्यक्ष (2) सचिव, सूचना और प्रसारण महालय— सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधि- कारी का जयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (1) (i) ऐसे अधिकारियों से जो अखिल भारतीय सेवाओं में सवका पद धारण करते हैं या 2500-2750 च० वाले वैतनमान के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित हैं, और (ii) ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार (जिसके अंत- र्गत केन्द्रीय सेवा समूह "क"		

1	2	3	4	5	6	7	8
							नाक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते।
संघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोत्सर्त की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचय, केंद्र अधीन, यदि कोई है।	भर्ती की पद्धति/भर्ती संघे होगा या प्रोत्सर्त द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोत्सर्त/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोत्सर्त/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोत्सर्त समिति है तो उसके संरचना	प्रोत्सर्त	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
9	10	11	12	13	14		
नहीं	2 वर्ष	प्रोत्सर्त द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा, वास्तविक पद्धति के बारे में प्रत्येक अवसर पर सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विनिश्चय किया जाएगा	प्रोत्सर्त ऐसा उच्च महाविदेशक जिसने उच्च श्रेणी में 2 वर्ष की निश्चित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (1) (1) ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने अखिल भारतीय सेवा में 14 वर्ष की सेवा की है, और (ii) ऐसे अधिकारियों में से जो केंद्रीय सरकार (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सेवा समूह 'क' भी है) राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण करते हैं या जिन्होंने 2000-2250 रु. या समतुल्य अर्थात्मान वाले पदों पर 2 वर्ष सेवा की है, और (2) जिनके पास स्तरीय 9 के नीचे (ii) में वर्णित अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक होगी)	प्रोत्सर्त पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोत्सर्त समिति (1) अध्यक्ष/सदस्य, सघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष (ii) सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय — सदस्य (iii) महाविदेशक, दूरदर्शन — सदस्य 2 पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोत्सर्त समिति 1 सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2 महाविदेशक दूरदर्शन—सदस्य टिप्पण पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोत्सर्त समिति की कार्यवाहियां, सघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि सघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोत्सर्त समिति की बैठक सघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	संघे भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का चयन लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, के नियम 30 के अधीन है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रायु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
4-(1) निदेशक (दूरदर्शन केन्द्र)—10 (दूरदर्शन केन्द्र) — 10 (1982)	14 कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	1500-60- 1800-100 2000 ६०	चयन	नहीं	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	आवश्यकता : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय की उपाधि या समतुल्य (2) दूरदर्शन के लिए, कार्यक्रम की योजना और निर्माण या ध्वनि प्रसारण या फिल्म या नाटक या दृश्य प्रभाव के साथ प्रचार का भी 10 वर्ष का अनुभव जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी रूप में 3 वर्ष का प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव भी हो। (3) भारत की सांस्कृतिक विरासत का और देश की सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों का गहन ज्ञान (साक्ष्य किया जाएगा) टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेका- नुसार गिणित की जा सकती है। टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार प्रस्तुत जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में गिणित की जा सकती है। जब कि चयन के किसी प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए, आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।
(2) कार्यक्रम निर्माता-3	आधार पर परिवर्तन	राजपत्रित					
(3) विजय नियंत्रक-1	किया जा सकता है।						

बांछनीय—(1) शिबी और
अधिमानता एक अन्य भारतीय
भाषा का ज्ञान।

(2) सांस्कृतिक गतिविधियों
का आयोजन करने का अनु-
भव।

(3) अभ्यर्थी की अपनी विद्यो-
पता के क्षेत्र में सृजनात्मक
उत्पादन की प्रकाशित कृति
का साक्ष्य।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/ प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिबीजा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती संघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	प्रोन्नति करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	----------------------------	--	---	---	---

10	11	12	13	14	15
----	----	----	----	----	----

नहीं	2 वर्ष	(1) 33½ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा। (2) 33½ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकते पर सीधे भर्ती द्वारा (3) 33½ प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा	प्रोन्नति उपनिदेशक (कार्यक्रम) और जन संपर्क अधिकारों जिसने उच्च श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) स्थानान्तरण— केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों अथवा सरकारों कानूनी या स्वायत्त संगठनों/परिषदों/संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकार -- (क) (i) जो मद्ध्य पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने 1100-1600 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है, और (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 9 के नीचे अधिकारित अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति/सविदा की अवधि नान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्य-वाहियों, सघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	1 प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य पृष्ठ पर विचार—सदस्य करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति। (1) संयुक्त सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष (2) महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य (3) अपर महानिदेशक उपमहानिदेशक—सदस्य	संघों भर्ती करने समय प्रतिनियुक्ति और सविदा स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
------	--------	--	---	---	--

पद का नाम	पदों की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पथ	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
5-(1) उप निदेशक (कार्यक्रम)-8	9*	माध्यम	1100-50-1600 रु०	चयन	नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक की उपाधि या सम-तुल्य ;
(2) जन संपर्क अधिकारी-1	*कार्यसूची के आधार पर	माध्यम	नमूदा "क" राजपत्रित	चयन	नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक की उपाधि या सम-तुल्य ;

1	2	3	4	5	6	6	8
	परिवर्तन किया जा सकता है।						<p>अनुदेशों के अनुसार (ii) 7 वर्ष का अनुभव जिसके 6 वर्ष तक शिथिल की अस्तर्गत दूरदर्शन के लिए कार्य-जा सकती है) जर्मों की योजना और निर्माण टिप्पण: आयु सीमा या डब्लि डसारण या फिल्म या अक्षरित करने के नाटक या वृष्य प्रभाव के साथ लिए निर्णायक तारीख प्रचार का पर्यवेक्षी के रूप भारत में रहने वाले में 3 वर्ष के प्रशासनिक और अभ्यर्थियों से (भिन्न संगठनात्मक अनुभव भी है। जो अन्वमान और (iii) भारत की सांस्कृतिक निकोबार द्वीप तथा विरासत का और देश की लक्षद्वीप में रहते हैं) सांस्कृतिक और कलात्मक अभि-आवेदन प्राप्त करने के व्यक्तियों के विभिन्न रूपों लिए नियत की गई का गहन-ज्ञान (साध्य दिया अंतिम तारीख होगी। जाएगा)</p>

टिप्पणी : 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की वशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
 टिप्पण: 2-अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस वशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए अक्षरित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों सकेंगे।

वांछनीय :—

(i) हिंदी और अधिमानतः एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान।

(ii) सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने का अनुभव।

(iii) अंग्रेजी से भिन्न अन्य एक विदेशी भाषा का ज्ञान।

(iv) आकस्मिक दूरदर्शन कार्यक्रम में भाग लेना।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति: ऐंशा सहायक केंद्र निदेशक, उप सहायक कार्यक्रम नियंत्रक और सहायक विक्रय नियंत्रक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।	1. प्रोन्नति पर विचार करने के लिए : (1) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) संयुक्तसचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य (3) महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य (4) अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक—सदस्य 2. पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (1) संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष (2) महानिदेशक दूरदर्शन—सदस्य (3) अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, दूरदर्शन सदस्य टिप्पण: पुष्टि से सम्बन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक मंच लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति	सोझी भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
6. (1) सहायक केंद्र निदेशक-29* (2) उपसहायक कार्यक्रम नियंत्रक-2 (3) सहायक विक्रय नियंत्रक-1	32* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	900-40-1100 ६० रो०-50-1400 रु०	चयन	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक :- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की उपाधि या सम-तुल्य। (2) दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों की योजना और निर्माण या ध्वनि प्रसारण या फिल्म या नाटक या दृश्य प्रभाव के साथ प्रचार का 3 वर्ष का अनुभव। (3) भारत की सांस्कृतिक विरासत का और देश की सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों का गहन ज्ञान (साक्ष्य दिया जाएगा) टिप्पण 1: अर्हताएं अन्तर्गत सुधर्माहित अभ्यर्थियों की वधा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में इस वशा में शिथिल की जा सकती है, जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए प्राग्भित स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।</p> <p>वांछनीय --</p> <p>(1) हिन्दी और अधिमानत एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान।</p> <p>(2) सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने का अनुभव।</p> <p>(3) अंग्रेजी से निम्न अन्य एक विदेशी भाषा का ज्ञान।</p> <p>(4) आकस्मिक दूरदर्शन कार्यक्रम में भाग लेना।</p>
10	11	12	13	14	15			
महर्षि	2 वर्ष	<p>(1) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(2) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति ऐसा कार्यक्रम अधिशासक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारी द्वारा संबंधित श्रेणी/पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की सारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी।</p>	<p>1 प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष</p> <p>(2) अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, दूरदर्शन--सदस्य</p> <p>(3) उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय-सदस्य</p> <p>(4) निदेशक (कार्मिक), दूरदर्शन सदस्य</p> <p>2 पुष्टि पर विचार करने के लिए</p> <p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>(1) अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, दूरदर्शन--अध्यक्ष</p> <p>(2) उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(3) निदेशक (कार्मिक), दूरदर्शन सदस्य</p>	<p>सीधी भर्ती और प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>			

10 11 12 13 14 15

टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि संघ लोक सेवा आयोग इन का अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. कार्यक्रम प्रशासक	* 52 (1982) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (राजपत्रित)	650-30-810- ६०१०-३५-८८० ४०-१०००-६०१० ४०-१२०० ६०	नयन	नहीं	21 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: प्रायः सीमा प्रवर्धित करने के लिए नियमित तारोख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे अभ्यर्थियों जो अद्यतन और निकोबार तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारोख होगी।	आवश्यक :- (1) किसी भाष्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय की उपाधि या सम- तुल्य। (2) कम से कम एक भारतीय भाषा के साहित्य का अच्छा ज्ञान (अभ्यर्थी ने उसको उपाधि के लिए एक विषय के रूप में लिया हो या वह भाषा में प्रकाशित, सृजनात्मक या अलोचनात्मक कृति का प्रमाण प्रस्तुत करे)। (3) भारत की सांस्कृतिक विरासत का और देश की सांस्- कृतिक तथा कलात्मक अभि- व्यक्तियों के विभिन्न रूपों का ज्ञान (साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा)। टिप्पण : 1. प्रहृताएं अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की वशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
-------------------------	--	---	--	-----	------	---	--

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी प्रहृता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस वशा में शिथिल की जा सकती है जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए प्रारंभित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।</p> <p>बोझनीय:—</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का निष्पादन कलाओं या फिल्म निर्माण/निर्देशन में डिप्लोमा या समतुल्य।</p> <p>(2) साहित्यिक, नाटकीय या वाक्विवाह गतिर्वाचनों का या प्रकाशित कृतियों का अधिलेख।</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त विपश्च-विद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा या समतुल्य।</p> <p>(4) दूरदर्शन/फिल्मों में कार्य-क्रम तैयार करने का अनुभव।</p> <p>टिप्पण: (2) में अपेक्षित भारतीय भाषा भर्ती के समय उपवर्षित की जाएगी।</p>

10	11	12	13	14	15
नहीं	2 वर्ष	<p>(1) 25 प्रतिफल प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(2) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: ऐसा प्रसार अधिशासक जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रोन्नति अखिल भारतीय आधार पर होगी। इस प्रयोजन के लिए प्रसार अधि-शासकों की संबंधित काडर में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के आधार पर एक पात्रता सूची तैयार की जाएगी किन्तु उस काडर में व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता बनाए रखी जाएगी। यदि विभिन्न काडरों के व्यक्तियों की नियमित नियुक्ति की तारीख एक ही हो तो ज्येष्ठता जन्मतिथि के प्रति निर्देश से अवधारित की जाएगी; जिसका जन्म पहले हुआ वह ज्येष्ठ होगा।</p> <p>टिप्पण 2: यदि प्रसार अधि-शासक के पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने अपेक्षित संख्या में वर्षों की अर्हक सेवा पूरी न की हो।</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>(1) अपर महानिदेशक, दूरदर्शन—अध्यक्ष</p> <p>(2) उप महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य</p> <p>(3) निदेशक (कार्यिक) दूरदर्शन—सदस्य</p> <p>टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोचनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोचन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।</p>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कराया जावश्यक है।</p>

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1982

G.S.R. 496(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' and Group 'B' posts in the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short Title and Commencement : (1) These rules may be called the Doordarshan (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application : These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay : The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Initial Constitution : (1) The regularly appointed officers of the All India Radio who on the date of commencement of these rules are working or have at any time prior to that date worked in Doordarshan against posts mentioned in column 2 of the Schedule annexed to these rules and are willing to be absorbed in the cadre of the Doordarshan will be eligible to be considered for appointment at the initial constitution stage to posts corresponding to those which they were holding on a regular basis provided that such officers make a written request in this regard within three months from the date of commencement of these rules.

(2) The suitability of the officers referred to in sub-rule (1) for appointment to the respective grades shall be determined by a selection committee to be constituted by the Union Public Service Commission with the Chairman or Member of the Commission as President and not more than two representatives of appropriate status to be nominated by the Ministry of Information and Broadcasting. The Selection Committee shall prepare a list of officers considered suitable for such appointment and submit the same to the Commission. On receipt of the said list, the Commission shall forward its recommendations for appointment of the officers found suitable to the respective grades to the Ministry of Information and Broadcasting.

(3) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (2) prior to their appointment to the cadre of the Doordarshan shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Future Maintenance : The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns 6 to 15 of the Schedule annexed to these rules.

6. Disqualification : No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	6(a)	7	8
1.	Director General	1* (In 1982)	General Central Service Group 'A' (Gazetted)	Rs. 2500- 125/2-2750	Selection	No	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 15 years experience in a supervisory capacity in educational, cultural, television, film, programme production, publicity or professional institution/organisation, including adequate general administrative experience with ability and capacity for organisation. (iii) Knowledge of India's cultural heritage and of different forms of literary, cultural and artistic expressions in the country. (iv) Knowledge of current affairs and contemporary thought. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
								*Subject to variation dependent on workload.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
No	2 years	By promotion or transfer on deputation or direct recruitment the exact method to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission.	<p>Promotion :</p> <p>(i) Additional Director General with 2 years regular service in the grade.</p> <p>(ii) Failing (i) above, Additional Director General with 5 years regular service in the grade of Additional Director General and Deputy Director General combined together.</p> <p>Transfer on deputation.</p> <p>(1) (i) Officers of All India Services holding analogous posts or approved for appointment to posts in the scale of Rs. 2500-2750 and</p> <p>(ii) Officers under the Central Government (including Central Services Group 'A')/ State Governments holding analogous posts or with 2 years service in the posts in the scale of Rs. 2250-2500 or equivalent or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 2000-2250 or equivalent and</p> <p>(2) Possessing experience or the type mentioned in (i) under column 9.</p> <p>(Period of deputation shall not exceed 5 years.)</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion as well as confirmation)</p> <p>(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.</p> <p>(ii) Secretary, Ministry of Information & Broadcasting—Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointment on deputation.</p>

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7	8
2.	Additional Director General	*1 (1982)	General Central Service Group 'A' (Gazetted)	Rs. 2250-125/2-2500	Selection	No	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 12 years' experience in a supervisory capacity in educational, cultural, television, film, programme production, publicity or professional institution/organisation, including adequate general administrative experience with ability and capacity for organisation.
*Subject to variation dependent on workload.								

1	2	3	4	5	6	6(a)	7	8
							Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	(iii) Knowledge of India's cultural heritage and of different forms of literary cultural and artistic expressions in the country. (iv) Knowledge of current affairs and contemporary thought. Note 1 : Qualification(s) relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
9	10	11	12	13	16			
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
No	2 years	By promotion or transfer on deputation or direct recruitment; the exact method to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission.	Promotion : Deputy Director General with 2 years regular service in the grade. Transfer on deputation. (1) (i) Officers of All India Services with 4 years service as such; and (ii) Officers of the Central Government including Central Services Group 'A'/State Governments holding	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee. (for considering promotion) (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. (ii) Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officers for appointment on deputation.			

9	10	11	12	13	14
			<p>analogous posts or with 2 years service in posts in the scale of Rs. 2000-2250 or equivalent; and</p> <p>(2) Possessing experience of the type mentioned in (ii) under column 9. (Period of deputation shall not exceed 5 years).</p>	<p>(iii) Director General, Doordarshan—Member.</p> <p>2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation).</p> <p>(i) Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman.</p> <p>(ii) Director General, Doordarshan—Member.</p>	
<p>Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>					

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	and other required for
1	2	3	4	5	6	6(a)	7	8	
3.	Deputy Director General	3*	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 2000-125/2-2250	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	

*Subject to variation dependent on workload.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	2 Years	By promotion	Promotion : Director (Doordarshan Kendras), Controller of programme and Controller of Sales with 5 years' regular service in the grade.	<p>1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion).</p> <p>(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.</p> <p>(ii) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member.</p> <p>(iii) Director General, Doordarshan—Member</p> <p>2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</p> <p>(i) Secretary/Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman.</p> <p>(ii) Director General, Doordarshan—Member</p>	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while selecting an officer for appointment to the post.
<p>Note :—The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>					

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7	8
4.	(i) Director—10 (Doordarshan Kendras) (ii) Controller of Programme—3 (iii) Controller of Sales—1	*14 (1982)	General Central Service Group 'A' (Gazetted). *Subject to variation dependent on workload	Rs. 1500-60-1800-100-2000	Selection	No	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 10 years experience including 3 years administrative and organisational experience in a supervisory capacity of planning and production of programme for television or sound broadcasting or film or drama or publicity with visual impact. (iii) Intimate knowledge of India's cultural heritage and of different forms of cultural and artistic expressions in the country (evidence to be furnished). Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (1) Knowledge of Hindi and preferably one other Indian Language.

1	2	3	4	5	6	6(-)	7	8
								(ii) Experience of organising cultural activities. (iii) Evidence of published work of creating production in the candidate's own field of specialisation.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made				If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14			
No	2 Years	(i) 33-1/3 per cent by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract). (ii) 33-1/3 per cent by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer failing which by direct recruitment. (iii) 33-1/3 per cent by direct recruitment.	Promotion : Deputy Director (Programme) and Public Relations Officer with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract)/transfer Officers under the Central/State Governments/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations/Councils/Institutions— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 9. (period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years).				1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member. (iii) Director General, Doordarshan—Member. 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation). (i) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman (ii) Director General (Doordarshan)—Member (iii) Additional Director General/Deputy Director General—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation/contract/transfer.
			Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.					

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	(i) Deputy Director (Programme) (ii) Public Relations Officer-I	*9 (1982)	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1100-50-1600	Selection	No	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University of equivalent. (ii) 7 years experience including 3 years administrative and organisational experience in a supervisory capacity, of planning and production of programme for television or sound broadcasting or film or drama or publicity with visual impact. (iii) Intimate knowledge of India's cultural heritage and of different forms of cultural and artistic expressions in the country (evidence to be furnished) Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Knowledge of Hindi and preferably one other Indian language. (ii) Experience of organising cultural activities.

*Subject to variation dependent on workload.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(iii) Knowledge of a foreign language other than English ; (iv) Participation in casual television programme.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
10	11	12	13	14	15			
No	2 years	75 % promotion failing which by direct recruitment. (ii) 25 per cent by direct recruitment.	Promtion : Assistant Station Director, Deputy Assistant Controller of Programme and Assistant Controller of Sales with 3 years' regular service in the grade.	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member (iii) Director General Doordarshan—Member (iv) Additional Director General/Deputy Director General—Member 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation) (i) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman (ii) Director General, Doordarshan—Member (iii) Additional Director General/Deputy Director General, Doordarshan—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.			
								Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the

10	11	12	13	14	15			
				Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	(i) Assistant Station Director 29	*2	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 900-40-1100-EB-50-1400	Selection	No	Not exceeding 35 years. (Relaxable to Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government.	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent (ii) 3 years experience of planning and production of programme for television or sound broadcasting or film or drama or publicity with visual impact. (iii) Intimate Knowledge of India's cultural heritage and of different forms of cultural and artistic expressions in the country (evidence to be furnished).
	(ii) Deputy Assistant Controller of Programme 2						Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of Selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
	(iii) Assistant Controller of Sales 1							Desirable : (i) Knowledge of Hindi and preferably one other Indian language. (ii) Experience of organising cultural activities. (iii) Knowledge of a foreign language other than English. (iv) Participation in casual television programme.

*Subject to variation dependent on workload.

10	11	12	13	14	15
No	2 years	(i) 75 per cent by promotion failing which by direct recruitment. (ii) 25 per cent by direct recruitment.	Promotion : Programme Executive with 5 years' regular service in the grade. Note :—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officer of prescribed qualifying service in the respective grade/post.	1. Group 'A' (Departmental Promotion Committee) for considering promotion. (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (ii) Additional Director General/Deputy Director General, Doordarshan—Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member (iv) Director (Personnel), Doordarshan—Member 2. Group 'A' (Departmental Promotion Committee) for considering confirmation : (i) Additional Director General/Deputy Director General, Doordarshan—Member (ii) Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member (iii) Director (Personnel), Doordarshan—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and promotion.
				Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Programme Executive	*52 (1982)	General Central Service Group 'B' (Gazetted)	Rs. 650-30-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	No	Between 21 and 30 years (Relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government.)	Essential :	(i) Degree of a recognised University or equivalent (ii) Sound knowledge of the literature of at least one Indian language. (The candidate should have offered it as a subject)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	<p>ject for a degree or should furnish evidence of published, creative or critical work in the language).</p> <p>(ii) Knowledge of India's cultural heritage and of different forms of cultural and artistic expressions in the country (evidence to be furnished).</p> <p>Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Diploma in performing arts or in film production/direction from a recognised Institute or equivalent.</p> <p>(ii) A record of literary dramatic or debating activities or published work.</p> <p>(iii) Diploma in journalism from a recognised University or equivalent.</p> <p>(iv) Experience in programme production in Television/Films</p> <p>Note :—The required Indian language at (ii) will be indicated at the time of recruitment.</p>	
10	11	12	13	14	15				
No	2 years	(i) 25 per cent by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Transmission Executives with 8 years' regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General, Dardar-	Consultation with the Union Public Service Commission				

10	11	12	13	14	15
		(ii) 75 per cent by direct recruitment.	<p>Note 1:—The promotion shall be on All-India basis. For this purpose, a single eligibility list of Transmission Executives shall be prepared on the basis of their date of regular appointment in the respective cadre subject to the <i>inter se</i> seniority or persons within the same cadre being maintained. In case date of regular appointment of persons from different cadres is the same the seniority will be determined with reference to the date of birth; the one born earlier being senior.</p> <p>Note 2 : If any person appointed to the post of Transmission Executive is considered for the purpose of promotion, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of qualifying service.</p>	<p>shan —Chairman (u) Deputy Director General, Doordashaan —Member (iii) Director (Personnel) Doordashaan -Member</p> <p>Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be met.</p>	<p>cessary while making direct recruitment.</p>

[F N 501/3/76-TV (Vol. II)]
P.K. SINHA, Dy. Secy.

